एससीटीसी सं. 837

# अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

## जनजातीय कार्य मंत्रालय

संबंधी

सातवाँ ..... प्रतिवेदन

अनुसूचित जनजाति उप-योजना (एसटीएसपी), जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अब अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) कहा गया है, की निगरानी तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास और उनके कल्याणार्थ इसका कार्यान्वयन विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई ।

9.8.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

9.8.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

9 अगस्त, 2021/22 ....., 1942(शक)

| विषय-सूची | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| समिति की संरचना | | |
| प्राक्कथन | | |
| अध्याय - एक | प्रतिवेदन | 1 |
| अध्याय - दो | सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है | 10 |
| अध्याय - तीन | सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती | 13 |
| अध्याय - चार | सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं | 17 |
| अध्याय - पांच | सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं | 24 |
| **परिशिष्ट** | | |
| एक. | समिति की .6.08.2021को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश | |
| दो. | पच्चीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण.... | |

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22) की संरचनडॉ.

(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी - सभापति

2. श्री अनिल फिरोजिया
3. श्री गिरीश चन्द्र
4. श्री संतोख सिंह चौधरी
5. श्री तापिर गाव
6. श्री रतन लाल कटारिया
7. कुमारी गोड्डेति माधवी
8. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
9. श्री अशोक महादेवराव नेते
10. श्री विनसेंट एच. पाला
11. श्री छेदी पासवान
12. श्री प्रिंस राज
13. श्री ए. राजा
14. श्री उपेन्द्र सिंह रावत
15. श्रीमती संध्या राय
16. श्री अजय टम्टा
17. श्री रेबती त्रीपुरा
18. श्री गुमान सिंह डामोर
19. श्री जगन्नाथ सरकार
20. श्री कृपाल बालाजी तुमाने

**सदस्य - राज्य सभा**

21. श्री अबीर रंजन बिस्वास
22. श्री नारनभाई जे. राठवा
23. श्रीमती कान्ता कर्दम
24. श्री राम शकल
25. श्री के. सोमप्रसाद
26. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
27. श्री रामकुमार वर्मा
28. श्री सुमेर सिंह सोलंकी
29. श्री शमशेर सिंह ढुलो
30. श्री प्रदीप टम्टा

**सचिवालय**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री डी.आर. शेखर | - | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री वी.के. शैलोन | - | उप सचिव |
| 3. | श्रीमती हुमा इकबाल | - | समिति अधिकारी |

## प्राक्कथन

मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी उसकी ओर से प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने तथा इसे सभा को प्रस्तुत किए जाने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर अनुसूचित जनजाति घटक नामक, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 'अनुसूचित जाति उप-योजना की मॉनीटरिंग (एसटीएसपी) तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण के लिए इसका कार्यान्वयन'विषय के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय के छब्बीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर यह ..... प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन 9.8.2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर 02.09.2020 को प्राप्त हुए थे।

3. ..... अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने दिनांक 6/8/2021 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकृत कर लिया था।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

6. समिति अपने से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए भी उनकी सराहना करती है।

**नई दिल्ली;**

9 अगस्त **, 2021**

**, 1942(शक)**

**डॉ. किरिट पी. सोलंकी**

**सभापति**

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति**

## अध्याय-एक

## प्रतिवेदन

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी स्थायी समितिकायह अनुसूचित जनजाति घटक नामक प्रतिवेदन, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 'अनुसूचित जाति उप-योजना की मॉनीटरिंग (एसटीएसपी) तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण के लिए इसका कार्यान्वयन'विषय के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय के छब्बीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाईके संबंध में है।

1.2 छब्बीसवां प्रतिवेदन 9 अगस्त, 2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा राज्य सभा के सभापटल पर रखा गया। इसमें 11 सिफारिशें/टिप्पणियां हैं। इन सभी सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर 02.09.2020 को प्राप्त हुए थे। सिफारिशों की जांच कर ली गई है और उन्हें निम्नवत रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(एक) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (देखिए सिफारिश क्र.सं. 4,8,9)

(दो) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती(देखिए सिफारिश क्र.सं. 2,7,11)

(तीन) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं(देखिए सिफारिश क्र.सं. 1,3,5,6,10)

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.3 अब समिति उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को देखेगी जिन्हें दोहराने अथवा जिन पर टिप्पणी की आवश्यकता है।

## सिफारिश (क्रम संख्या 1)

1.4 समिति ने नोट किया कि देश में हाशिए पर रह रही अनुसूचित जनजातियों के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा अपनायी गयी टीएसपी रणनीति की सफलता सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने अजा/अजजा संबंधी एसटीसी (टीएसपी) बनाने, उसके कार्यान्वयन तथा निगरानी के बारे में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को व्यापक दिशानिर्देश जारी किया हैं। तथापि, समिति यह नोट कर निराश है कि अधिकांश केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ने दिशानिर्देशों का अक्षरश: पालन नहीं किया है। समिति ने नोट किया कि अधिकांश केन्द्रीय मंत्रालयों ने दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों का आबंटन चिन्हित नहीं किया है। चिन्हित निधियां, धनराशि के निर्धारित आबंटन से काफी कम है जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने टीएसपी हेतु केवल 5.45. राशि निर्धारित की है जबकि इस मंत्रालय हेतु टीएसपी की चिन्हित राशि 17.5% है। समिति का मानना है कि अधिकांश केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा वर्तमान दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की अवहेलना तथा इनका अनुपालन न करना, एक कारण है जिसकी वजह से टीएसपी कार्यनीति, जो उद्देश्य मूल रूप से तय किए गए थे उनको प्राप्त नहीं कर पायी है। समिति का मानना है, कि इस संबंध में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों को अपनी बात सक्रियता से समझानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह मंत्रालय उन्हें दिए गए आबंटन के अनुसार टीएसपी हेतु निर्धारित निधियां चिन्हित करें।

## जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर

1.5 नीति आयोग और जनजातीय कार्य मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) की निगरानी पर पूरी सक्रियता से काम कर रहे हैं। इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय एसटीसी निधियों वाले केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ सचिव (जनजातीय कार्य) की अध्यक्षता में आवधिक बैठकें आयोजित कर रहा है। इन बैठकों में इस पर बल दिया गया कि एसटीसी आवंटनों को संबंधित मंत्रालय/विभाग के कुल योजनाबद्ध आवंटन के निर्धारित प्रतिशत के समान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सचिव (जनजातीय कार्य) द्वारा हस्ताक्षरित अर्धशासकीय पत्र भी मंत्रालयों/विभागों को भेजा है, जिन्होंने एसटीसी के तहत

नीति आयोग के मौजूदा दिशानिर्देश द्वारा निर्धारित प्रतिशत से कम निधियों को आवंटित किया है।

1.6 बजट प्रभाग, डीईए के अनुसार प्रधान सलाहकार की अध्यक्षता में नीति आयोग में दिनांक 16.11.2018 को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सचिव (व्यय) और संयुक्त सचिव (बजट) ने भी भाग लिया तथा इसमें यह निर्णय लिया गया था कि नीति आयोग के परामर्श में नोडल मंत्रालयों तथा प्रतिबद्ध ऑबलिगेटेड मंत्रालयों को विशिष्ट योजनाओं को चिन्हित करना चाहिए, जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को लाभ प्रदान करते हैं एवं ऐसी सभी योजनाओं के लिए अनुमानित आवंटन के बजाय सिर्फ चिन्हित योजनाओं के लिए आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया था कि वर्तमान योजनाओं के तहत अथवा व्यय में कठिनाई के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समावेशी विकास के लिए नवीन कार्यक्रम या नए उपाय/नई योजनाओं हेतु नोडल मंत्रालयों को नीति आयोग के साथ चर्चा करनी चाहिए। व्यय सीमाओं के बारे में बताते हुए बजट प्रभाग, डीईए इस संबंध में नीति आयोग के दिशानिर्देशों के मद्देनजर न्यूनतम आवश्यक निधियों के निर्धारण को स्पष्टरूप से इंगित करता है।

1.7 इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित निधियों को तय करने के लिए ऑबलिगेटेड केंद्रीय मंत्रालय/विभागों के साथ मामले को देखने के लिए नीति आयोग उपाध्यक्ष/नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रालय/विभागों के साथ आवधिक बैठकें भी आयोजित कर रहा है।

## समिति की टिप्पणियां

**1.8 मंत्रालय द्वारा उनकी सिफारिश के प्रत्युत्तर में दिए गए उत्तर पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए समिति यह नोट करके आश्चर्यचकित है कि लगभग सभी मंत्रालय/विभाग टीएसपी के तहत निधियां आबंटित करने में मंत्रालयों में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं। समिति मंत्रालयों/विभागों की निष्क्रियता पर इस तथ्य के बावजूद हैरान है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय इस बात पर जोर देने के लिए आवधिक बैठकें कर रहा है कि एसटीसी आबंटन निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप किया जाए और यहां तक कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने भी उन मंत्रालयों, विभागों को डीओ पत्र लिखे हैं जिन्होंने एसटीसी के तहत कम निधियां आबंटित की हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि मंत्रालयों/विभागों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ**

प्रदान करने वाली विशिष्ट योजनाओं की पहचान की है या नहीं, जैसा कि 16.11.2018 को आयोजित डीईए (बजट प्रभाग) की बैठक में निर्णय लिया गया था। समिति यह महसूस करती है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां समाज के वंचित वर्ग हैं और टीएसपी के तहत निधियां आबंटित करने से उनका समग्र विकास होता है और इस संबंध में कर्त्तव्य में किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीरता से देखा जाता है। इसलिए समिति उन मंत्रालयों/विभागों जिन्होंने इस मुद्दे को, जोकि न केवल समाज के एक वर्ग अथवा समूह के लिए अपितु पूरे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है के प्रति इस ढुलमुल रवैये की निंदा करती है।

समिति यह सिफारिश करती है कि नोडल मंत्रालय और उपकृत मंत्रालय को नीति आयोग के परामर्श से एक निश्चित समय-सीमा के भीतर विशिष्ट योजनाओं की पहचान करनी चाहिए जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट लाभ प्रदान करती हैं और सभी योजनाओं के लिए अनुमानित आबंटन के बजाय केवल ऐसी चिन्हित योजनाओं के लिए आबंटन सुनिश्चित करती हैं। उनका सुविचारित मत है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय और विशेष रूप से नीति आयोग को एक नीति बनानी होगी जिसमें वे टीएसपी के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निधियां आबंटित नहीं करने पर मंत्रालय के लिए निधियों पर रोक लगाने का प्रावधान कर सकते हैं। समिति को यह उम्मीद है कि नोडल मंत्रालय और नीति आयोग दिशानिर्देशों के अनुसार टीएसपी के लिए निधियों का आबंटन सुनिश्चित करने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस सचिवालय को सूचित किया जाए।

सिफारिश (क्रम संख्या 3)

1.9 समिति नोट करती है कि ऐसे बहुत से राज्य हैं तो नीति आयोग के भरपूर प्रयासों के बावजूद टीएसपी योजनाओं संबंधी आबंटित योजना परिव्यय के प्रतिशत का ब्यौरा प्रदान नहीं करते। असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर आदि जैसे ये अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफी अधिक है जैसे कि मणिपुर में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 35% है। समिति का मानना है कि राज्यों द्वारा इसकी स्पष्ट अवहेलना इस बात का प्रमाण है कि वे टीएसपी योजनाओं का अक्षरश: पालन नहीं करते। वह या तो टीएसपी निधियों का अन्यत्र उपयोग करते हैं अथवा उसका दुरूपयोग करते हैं। समिति इस बात को गंभीरता से लेती है कि असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर तथा जम्मू और कश्मीर जैसे

कुछेक राज्य समझाने-बुझाने के बावजूद भी टीएसपी आबंटन की सूचना नहीं दे रहे हैं। राष्ट्र हित में इस सरकार को चाहिए कि वह संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से कार्यान्वित करने हेतु एक कानून बनाये।अत:, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को ऐसे दोषी राज्यों के अथवा निधियों का सीधा आबंटन बंद करने जैसा उपयुक्त तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि सभी राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों के पदचिन्हों पर चलें जिन्होंने टीएसपी को सांविधिक रूप दिया है।

**जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर**

1.10 जनजातीय कार्य मंत्रालय टीएसपी निधियों के गैर-आवंटन, न्यून उपयोगिता तथा व्यपवर्तन के मुद्दे को निपटाने के लिए एक कानून बनाने की दिशा में राज्य सरकारों के साथ इस मामले को लगातार है।

**समिति की टिप्पणियां**

**1.11 समिति ने यह नोट किया है कि नीति आयोग के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, कई राज्यों, जिनमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति की आबादी है, ने टीएसपी योजनाओं के लिए आबंटित योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। समिति यह भी नोट करती है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में टीएसपी को सांविधिक बना दिया है और इसलिए समिति ने यह सिफारिश की थी कि सरकार को संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत एक कानून बनाना चाहिए जो संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में से किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि ऐसा करने की संभावनाओं का पता लगाने के बजाय मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि वे मुद्दों के समाधान हेतु कानून बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं। इसलिए समिति संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत कानून बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराती है ताकि सभी राज्यों के लिए टीएसपी योजनाओं के लिए आबंटित योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के बारे में विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य बनाया जा सके।**

**सिफारिश (क्रम संख्या 5)**

1.12 समिति पाती है कि टीएसपी निधियों का कार्यान्वयन और पारदर्शी उपयोग इस फ्लैगशिप योजना के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है| समिति महसूस करती है कि केरल और मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों का यह एक सकारात्मक कदम है जहां उन्होंने जनजातीय उप योजना (टीएसएस) निधियों के सृजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए मुख्य सचिव के अधीन एक कार्यकारी समिति का गठन किया है। किंतु केवल इस समिति के गठन से ही उक्त उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी।समिति को यह जानकर बड़ा दुख हुआ है कि टीएसपी निधियों का दुर्विनियोजन किया जा रहा है और अल्पसंख्यक संस्थाओं अथवा अपात्र राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा के लिए खर्च किया जा रहा है जो टीएसपी के अंतर्गत कवर नहीं है।समिति का विचार है कि जब तक टीएसपी के तहत निगरानी तंत्र सक्रिय और मजबूत नहीं किया जाता है, टीएसपी का कार्यान्वयन अर्थपूर्ण और प्रभावी नहीं होगा।टीएसपी की सफलता ईमानदारी और सतर्कता पूर्ण निगरानी के साथ इन कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।इसलिए समिति सिफारिश करती है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जिला और प्रखंड स्तर पर एक मजबूत निगरानी समिति की स्थापना करनी चाहिए जिसकी वर्ष में कम से कम दो बैठकें हों। समिति यह भी सिफारिश करती है कि प्रत्येक राज्य को पूरे किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं के संबंध में अपना स्वयं का सामाजिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि, लाभार्थी और प्रसिद्ध स्वैच्छिक संगठन/गैर-सरकारी संगठन शामिल हों।

## जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर

1.13 जनजातीय कार्य मंत्रालय के निरंतर प्रयास और अनुनय से केरल सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों ने टीएसपी निधियों के गठन, कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया है। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय के जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को योजना के तहत निधियों के लिए एक वार्षिक योजना तैयार करना होगा तथा योजना को राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित करवाना होगा। इसलिए, कार्यकारी समिति द्वारा राज्य सरकार की वार्षिक योजना का अनुमोदन योजना के तहत निधिकरण के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।

1.14 जिला और ब्लॉक स्तर पर निगरानी समितियों की स्थापना जो एक वर्ष में दो बैठक करेंगे और सामाजिक लेखा-परीक्षा कार्यक्रम के गठन के संबंध में समिति की सिफारिश को आवश्यक कार्रवाई के लिए नोट कर लिया गया है।

## समिति की टिप्पणियां

**1.15 समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के निरंतर प्रयासों और प्रोत्साहन के बाद केरल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने टीएसपी निधियों के सृजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया है। समिति को यह आशा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय केरल को भी अन्य राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की तर्ज पर इसका अनुपालन करने हेतु राजी करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करेगा।**

**तथापि, समिति यह नोट करके निराश है कि जिला और ब्लॉक स्तर पर निगरानी समितियों के गठन के संबंध में उनकी सिफारिश के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने यह बताया है कि उन्होंने आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे नोट कर लिया है। यह 'नोट' करना वास्तव में परेशान करने वाला है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद मंत्रालय ने दो वर्षों के बाद अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं और वे उनके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के संबंध में कुछ नहीं बता सके बल्कि उन्होंने यह कहना पसंद किया कि उन्होंने आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे 'नोट' कर लिया है। समिति, संसदीय समिति की सिफारिश को मानने में प्रशासनिकमंत्रालय की ओर से इस ढुलमुल रवैये की निंदा करती है और पुरज़ोर सिफारिश करती है कि इस संबंध में ठोस कार्रवाई की जाए और इस बारे में समिति को सूचित किया जाए।**

## सिफारिश (क्रम संख्या 6)

1.16 समिति का मत है कि क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के लिए एक मैनुअल होना चाहिए क्योंकि ऐसे मैनुअल की सहायता से ही ये अधिकारी जो जनजातीय क्षेत्रों, जो अधिकांश: पिछड़े हुए, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र हैं, में कार्य करते हैं, अपने कर्त्तव्यों को प्रभावी रूप से अनुपालन कर सके और यह सुनिश्चित कर सकें कि इन कार्यक्रमों/योजनाओं को दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जाए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि नोडल मंत्रालय और टीएसपी के वित्तपोषक होने के नाते मंत्रालय के लिए यह उपयुक्त होगा कि वह क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के कार्य के संबंध में नीति आयोग द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के आधार पर एक मैनुअल संकलित करने के लिए राज्य सरकार को अनुदेश दे। इस मैनुअल को क्षेत्रीय

भाषाओं में भी तैयार किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र स्तर के अधिकारी इन दिशानिर्देशों को उचित रूप से समझ सकें और उन्हें प्रभावी रूप से कार्यान्वित कर सकें।

### जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर

1.17 समिति की सिफारिश अनुपालन के लिए नोट कर लिया है तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को सूचित किया गया है।

### समिति की टिप्पणियां

**1.18 समिति ने मंत्रालय के ऐसे ढुलमुल उत्तर कि समिति की सिफारिश को अनुपालन के लिए नोट किया गया है और आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को अवगत करा दिया गया है, के एक और उदाहरण पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है। समिति का सुविचारित मत है कि केवल समिति की सिफारिश को राज्य सरकार तक पहुंचाने से ही उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसकी बजाय, मंत्रालय को राज्य सरकार को समिति की सिफारिशों की भावना के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित तथा राजी करना चाहिए। इसलिए समिति क्षेत्रीय भाषाओं में नियमावली के संकलन के लिए अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराती है और चाहती है कि राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सम्प्रेषित करने के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय इस संबंध में की गई प्रगति की भी निगरानी करे।**

### सिफारिश (क्रम संख्या 10)

1.19 समिति ने नोट किया कि टीएसपी निधियों के अव्यपगत पूल के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह मामला नीति आयोग में विचाराधीन है तथा समिति यह महसूस करती है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। टीएसपी के अंतर्गत बहुत सी अनुउपयोगी निधियों को या तो अन्य योजनाओं में लगा दिया जाता है या फिर वे व्यपगत हो जाती है। निधि का अव्यपगत पूल यह सुनिश्चित करेगा कि निधियों को कहीं और न लगाया जाए तथा उन्हें अगले वितीय वर्ष में उपयोग किया जा सके। अत: समिति इस बात की सिफारिश करती है कि नीति आयोग द्वारा इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जाए ताकि टीएसपी संबंधी निधि वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे और उसका दुरूपयोग न हो।

### जनजातीय कार्य मंत्रालय

1.20 नीति आयोग द्वारा,एससीएसपी और टीएसपी के लिए गैर व्यपगत (नॉन लैप्सेबल) अधिशेष और गैर परिवर्तनीय (नॉन डॉयवर्टीबल) निधि से संबंधित मामले की जांच की गई

और नीति आयोग द्वारा एक सुझाव दिया गया कि गैर-व्यपगत और गैर-परिवर्तनीय निधियों का, उपयोजनाओं के दायरे को अनुरक्षित करते समय केन्द्रीय विधान के माध्यम से बेहतर ढंग से प्रवर्तन किया जा सकता है। इस, संदर्भ में उनके द्वारा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की विधानों की जांच की गई। आंध्र प्रदेश जिसने पहले यह कानून बनाया का अनुभव, उत्साहजनक नहीं था। यही स्थिति कर्नाटक राज्य की भी थी। टीएसपी से संबद्ध यह मामला निधि की अपर्याप्तता या अनुपलब्धता का नहीं था। अपितु यह मामला एक विशेष स्कीम के तहत क्षमता के उपयोग का था।मंत्रालयों/विभागों की उपयोग क्षमता में कमी से निपटने के लिए नीति आयोग ने आर्थिक कार्य और व्यय विभाग को संबोधित अपने अर्धशासकीय पत्र सं. एम/11011/18/2018-एसजेई दिनांक 09.11.2018 के द्वारा ऐसे लाइन मंत्रालयों की जिनके पास अप्रयुक्त और उपयोग जा रही टीएसपी और एससीएपी निधि शेष है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की स्कीमों के तहत निधि के अव्ययित अधिशेष का एक पूल बनाने और ऐसी निधियों को नोडल विभागों अर्थात सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय को पुन: आबंटित करने का सुझाव दिया है ताकि छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति स्कीम और अन्य लामोन्मुख स्कीमों की बजटीय मांगों को पूरा किया जा सके। यह मामला नीति आयोग के जांचाधीन है। इसके अलावा नीति आयोग की जानकारी के अनुसार भारत द्वारा अपनाई जा रही व्यावहारिक लेखा प्रणाली के तहत भारतीय परिप्रेक्ष्य में, "गैर अपव्यय" (नॉन लैप्सेबिलिटी) आदान क्रियान्वयन के लिए एक व्यवहार्य अवधारणा नहीं है। निधि आवंटन में "गैर अपव्ययता" जो अब पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अपनायी जा रही है यह भी उत्साहवर्धक नहीं है क्योंकि इससे कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों/विभागों की उपयोग क्षमता में कमी के कारण अधिक निधि एकत्रित हो सकती है।

## समिति की टिप्पणियां

**1.21 समिति मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा अव्यपगत पूल में टीएसपी के लिए निधियों के आबंटन के संबंध में विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करती है। लेकिन यह अनुमान है कि इसके परिणामस्वरूप निधियां एकत्र होती है जो यह दर्शाता है कि टीएसपी के तहत आबंटित अधिकांश निधियों का उपयोग नहीं किया जाता है। मंत्रालय को राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए इन निधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। समिति यह महसूस करती है कि अव्यपगत निधि से अन्य क्षेत्रों के लिए टीएसपी निधियों का दुर्विनियोजन बंद हो जाएगा। मंत्रालय जनजातीय**

कल्याण के लिए इन निधियों के पूर्ण उपयोग के लिए राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। इसलिए समिति उचित प्रोत्साहन के साथ अव्यपगत निधि बनाने की अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराती है। मंत्रालय को निधियों के अधिकतम उपयोग के लिए राज्यों की निगरानी प्रवृत्त भी करना चाहिए ताकि यह एकत्र न हो सके। इस उद्देश्य के लिए जनजातीय उप योजना की विस्तारपूर्वक संपूर्ण जांच की जानी चाहिए ताकि उनके कार्यान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और निधि का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सके।

## अध्याय - दो

## सिफारिशें/ टिप्पणियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए गए

### सिफारिश (क्रम संख्या 4)

2.1 समिति नोट करती है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही सक्रिय जनजातीय कल्याण विभाग है और इसलिए टीएसपी के तहत योजनाओं को वहां बेहतर तरीके से कार्यान्वित किया जाता है।समिति महसूस करती है कि टीएसपी के सफल कार्यान्वयन के लिए यह मूलभूत अपेक्षाओं में से एक है।एक सुदृढ़ जनजातीय कल्याण विभाग जहां पर्याप्त जनशक्ति हो और जिनकी शाखाएं राज्य भर में हों, और जो सुव्यवस्थित हों व जहां पर्याप्त संख्या में कर्मचारी मौजूद हों, टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।इसके अतिरिक्त, इन विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए और उन्हें टीएसपी निधियों के दुर्विनियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए| इसलिए समिति सिफारिश करती है कि चूंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय को केन्द्रीय मंत्रालयों के टीएसपी निधियों की निगरानी के लिए अधिदेश प्रदान किया गया है, मंत्रालय को प्रत्येक राज्य विशेषक उन राज्यों में जहां पर्याप्त संख्या में जनजातीय लोग हों, में एक मजबूत कल्याण विभाग के लिए सतत रूप से जोर देना चाहिए।

### जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर

2.2 मौजूदा दिशानिदेशों के अनुसार राज्यों में जनजातीय विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यजनजातीय कल्याण विभाग नोडल विभाग है। राज्य जनजातीय कल्याण विभागों की जिम्मेदारी विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों की प्रगति का समन्वय करना तथा परिणाम सहित निधि आवंटन, निर्मुकित तथा व्यय, सेवा वितरण मानको सहित सुपरिभाषित घटकों के साथ एक व्यापक निगरानी तंत्र तैयार करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय एक मजबूत राज्य जनजातीय कल्याण विभाग बनाने के लिए राज्य सरकारों पर नियमित रूप से दवाब देता है।

### सिफारिश (क्रम संख्या 8)

2.3 समिति वर्ष 2015 में सीएजी द्वारा टीएसपी की कार्यनिष्पादन लेखा जांच की रिपोर्ट के निष्कर्षों को गंभीरता से लेती है जो यह कहती है कि टीएसपी निधियों को अधिकांशत: वर्ष के अंत में जारी किया जाता है और राज्य सरकारें मुश्किल से निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी कर पाती है जिससे उन वास्तविक निधियों को सुनिश्चित करना बड़ा कठिन होता है जिन्हें टीएसपी के तहत उपयोग

किया गया है। समिति का विचार है कि केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों की ओर से यह बड़ी लापरवाही है तथा इससे निःसंदेह ही टीएसपी के समग्र कार्यनिष्पादन को हानि पहुंचेगी। इसलिए, जनजातीय मंत्रालय और नीति आयोग को ठोस कदम उठाकर समस्या को शुरू में ही हल कर लेना चाहिए ताकि टीएसपी की यह अनुदान राशि समय पर लाभार्थी तक पहुंच सके।

**जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर**

2.4 वेब पता http://stcmis.gov.in के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली संचालित की गई है। इसकी संरचना में योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटनों की मॉनीटरिंग, व्यय की मॉनीटरिंगऔर आवंटन, वास्तविक कार्य और निष्पादनकी निगरानी की परिकल्पना की गई है।

2.5 जनजातीय कार्य मंत्रालयसचिव (जनजातीय मामलों) की अध्यक्षता में उन केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करता है जिनके पास एसटीसी निधियां होती हैं। बैठकों में, इस बात पर जोर दिया गया है कि एसटीसी का आवंटन संबंधित मंत्रालय / विभाग के कुल योजनाबद्ध आवंटन के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार किया जाए और केवल पात्र टीएसपी राज्यों को ही निधि जारी की जाए।

2.6 इसके अलावा, मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निष्पादन/ परिणाम के आवंटन, उपयोग और निगरानी को देखने के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) और एक मोबाइल-एप्लिकेशन भी विकसित कर रहा है। इस अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) द्वारा जनजातीय समुदायों और क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के साथ-साथ निधि आवंटन और उपयोग को ट्रैक और मॉनिटर किया जा सकेगा।

**सिफारिश (क्रम संख्या 9)**

2.7 समिति ने महसूस किया कि जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत राज्य सरकारों की परियोजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा परियोजना मूल्यांकन समिति का प्रारंभ किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। सचिव (जनजातीय कार्य) की अध्यक्षता और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, वित्तीय सलाहकार नीति आयोग की सदस्यता से युक्त यह समिति एक शक्तिशाली निगम है जो कि राज्यों और केंद्र की विभिन्न योजनाओं का समावेश कर सकती है और समिति वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग भी सुनिश्चित करती है। समिति ने सिफारिश की कि परियोजना मूल्यांकन समिति को मजबूत बनाया जाए जो कि टीएसपी

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर नजर रख सके तथा इस परियोजना को सफल बना सके। समिति ने यह भी सिफारिश की कि वित्तीय मंत्रालय के प्रतिनिधि को भी इस समिति में शामिल किया जाए जिससे कि यह और अधिक प्रभावी बन सके।

**जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर**

2.8 जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए 'परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी)' का गठन किया गया है। वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय इस समिति के सदस्य हैं| एसटीसी निधि से वित्तपोषित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों और राज्य सरकार की स्कीमों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व, संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों का है।जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, मंत्रालय में एक निगरानी तंत्र भी विकसित किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालयद्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं / गतिविधियों की निगरानी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) राज्यों की वार्षिक योजना पर विचार करते समय मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा परियोजनाओं / गतिविधियों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ii) सचिव (टीए) की अध्यक्षता में राज्यों के साथ मध्यावधि समीक्षा बैठक आयोजित की जाती हैं।

(iii) योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में उपयोगिता प्रमाण-पत्र और प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

(iv) राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों का दौरा करते समय अधिकारी, जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की स्थिति का पता लगाते हैं।

(v) जनजातीय विकास के मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए कई बार क्षेत्रीय सम्मेलन बुलाए जाते हैं।

(vi) इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय औरनीति आयोग समय-समय पर योजना का मूल्यांकन अध्ययन करते हैं।

## अध्याय-तीन

**सिफारिशें/ टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती**

**सिफारिश (क्रम संख्या 2)**

3.1 समिति ने नोट किया कि राज्यों को अपने क्षेत्रों के अनुकूल क्रियाकलापों तथा वहां रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के अनुसार अपनी आवश्यकताएं स्वयं तय करनी होंगी।राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे संसद सदस्यों, विधायकों, पंचायत तथा ग्राम सभा के सदस्यों तथा जिलों के प्रमुख नेताओं को शामिल कर टीएसपी की योजनाओं को तैयार करें, उन्हें कार्यान्वित करें तथा उनकी निगरानी करें।समिति की राय है कि यदि हाशिए पर जीवन गुजार रहे जनजातीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है और यदि उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है तथा यदि उन्हें मूलभूत आजीविका संसाधन उपलब्ध कराने हैं तो इन योजनाओं को जनजातीय लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करना चाहिए।अत: समिति सिफारिश करती है कि टीएसपी योजनाओं की सफलता के लिए जमीनी स्तर पर स्थानीय लोगों और निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा स्थानीय निकायों की भागीदारी से प्राथमिकता दिये जाने वाले क्षेत्रों की उचित पहचान करने में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि टीएसपी तंत्र का उद्देश्य, क्षेत्र विशेष का विकास करना तथा संख्या में कम और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से हाशिए पर जीवन बिता रहे समूहों के लिए विशेष योजनाएं तैयार करना है।

**जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर**

3.2 राज्य सरकारों पर उन्हें संबोधित पत्रों के माध्यम से विकास के प्रमुख क्षेत्रों में माल एवं सेवा का वितरण तथा इसे साक्ष्य आधारित योजना के लिए उपयोग करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर अंतरों को आंकलित करने के लिए निमयित रूप से बल दिया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित अंतर केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की एसटीसी निधियों द्वारा निधि पोषित होने वाली क्षेत्र विशिष्ट तथा सेक्टर विशिष्ट परियोजनाएं तैयार करने के लिए निविष्टियां (इनपुट) प्रदान करेगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रयासों तथा राज्य टीएसपी निधियों को अनुपूरक प्रदान करने के लिए संवेदनशील अंतर भरण उपाय के रूप में जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना के तहत राज्यों सरकारों को निधियां प्रदान करता है।

3.3 राज्य टीएसपी दिशानिर्देश निर्धारित करता है कि जनजातीय विकास से संबंधित विभाग जनजातीय विकास के लिए नोडल विभाग की भूमिका निभाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न स्तरों अर्थात राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम सभा आदि पर सभी संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं, जैसाकि दिशानिर्देश में निर्धारित है तथा इससे अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना कि टीएसपी वित्तीय आवंटन के समय प्रत्येक आईटीडीपी/आईटीडीए/एमएडीए/कलस्टर/राज्य स्तर पर टीएसपी निधिकरण प्रतिरूप के तहत अंतरों को दर्शाया गया है, ताकि टीएसपी में चिन्हित अंतरों के साथ टीएसएस को एससीए की मंत्रालय की योजना की अंतरभरण भूमिका की समकालिक सुविधा हो सके।आयोजन, कार्यान्वयन तथा निगरानी की प्रक्रिया में प्रभावी रूप से स्थानीय सरकारों को भाग लेने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्थानीय सरकारी संस्थानों के अनुसूचित जनजाति से संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

**सिफारिश (क्रम संख्या 7)**

3.4 समिति देश में अ.ज.जा के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत है। एनजीओ अ.ज.जा के लिए कल्याण योजनाओं को लागू करने में राज्य-प्रशासन को सहायता प्रदान करता है इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि देश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहे रहे गरीब जनजातीय लोगों को टीएसपी योजनाओं के तहत केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा एनजीओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए और वित्तीय रूप से सहायता प्रदान की जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि एनजीओ की सदा उचित निगरानी की जानी चाहिए ताकि उन एनजीओ को अलग-थलग किया जा सके जो कार्य नहीं कर रहे हैं और मिल रही सहायता राशि का दुरूपयोग कर रहे हैं।

**जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर**

3.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय 'एसटी के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता' संबंधी योजना को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, मंत्रालय द्वारा आवासीय विद्यालयों, गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, मोबाइल औषधालयों, दस या अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों, ग्रामीण रात्रि विद्यालयों, कृषि प्रशिक्षणों इत्यादि के लिए निधि प्रदान की जाती है। इसके अलावा कम साक्षारता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा सुदृढ़ीकरण इस योजना की उप योजना है।गैर सरकारी संगठनोंको यह अनुदानएक निर्धारित

प्रारूप मेंआवेदन करने और उसे संबंधित राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश प्रशासन की बहु-विषयक राज्य स्तरीय समिति द्वारा विधिवत सिफारिश करने पर प्रदान किया जाता है।

3.6 जनजातीय कार्य मंत्रालयएक समर्पित पोर्टल, www.ngograntsmota.gov.in के माध्यम से एनजीओको अनुदान दे रहा है, जो एनजीओके आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए संपूर्ण समाधान है। एनजीओ द्वारापोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है जिसका निरीक्षण जिला प्राधिकरणों द्वारा, जो प्रस्ताव को स्वीकार / अस्वीकार कर सकते हैं, किया जाता है। राज्य स्तरीय समिति की बैठक के परिणाम पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं और अनुशंसित मामलों को जनजातीय कार्य मंत्रालयमें भेज दिया जाता है। केंद्रीय स्तर पर प्रस्तावों की जांच की जाती है और जनजातीय कार्य मंत्रालयप्रस्ताव को स्वीकार / अस्वीकार कर सकता है। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां ऑनलाइन प्रदान की जाती है और स्वीकृति-आदेश सृजित किए जाते हैं और अनुदान पीएफएमएस के माध्यम से निर्मुक्त कर दिए जाते हैं। एनजीओ को ये निधियां इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित उनकी पूर्ववर्ती परियोजनाओं की निगरानी (मॉनीटरिंग) और मूल्यांकन और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद जारी की जाती हैं।

3.7 पोर्टल में, सभी हितधारकों के साथ एसएमएस अधिसूचनाओं की सुविधा के साथ-साथ ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र / संचार मॉड्यूल भी है। सभी हितधारक अपने लॉगिन आईडी के साथ आवेदन की वर्तमान स्थिति को भी देख सकते हैं। डेटाबेस में राज्यवार, एनजीओ वार, सेक्टरवार, एनजीओ और राज्यों के साथ समन्वय और निगरानी के लिए जिलेवार निधि जैसी विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें सृजित करने की क्षमता होती है।एनजीओ निधि को साथ-साथ निम्न प्रक्रिया अनुसार मॉनीटर किया जाता है:-

(क) जिला अधिकारियों द्वारा वार्षिक निरीक्षण

(ख) बहुविषयक राज्य स्तरीय समिति के द्वारा जांच और संस्तुति

(ग) एनजीओ द्वारा वार्षिक लेख परीक्षण और उपयोगित रिपोर्टों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना

(घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण

(ङ) सहायता प्राप्त एनजीओ द्वारा पीएफएमएस व्यय अग्रिम अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल द्वारा व्यय दर्ज करना

(च) मंत्रालय द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा तृतीयक पक्ष द्वारा मॉनीटरिंग।

**सिफारिश (क्रम संख्या 11)**

3.8 भारत वर्ष के दूरस्थ क्षेत्रों में भांति-भांति के लोग रहते है और उनकी विविध संस्कृतियां है और उनके विविध-विविध धर्म हैं। समिति इस बात की सिफारिश करती है कि परियोजना मूल्यांकन समिति को चाहिए कि वह टीएसपी के तहत योजनाएं बनाएं। जो योजनाएं जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित हों और वे जिस संस्कृति में तथा जिस आवास में रहते हैं उनके अनुसार वे योजनाएं बनाई जाएं। यदि कोई योजना उनकी सुस्थापित जीवनशैली अथवा धर्म के विरूद्ध होगी तो वह योजना उनके लिए लाभकारी नहीं होगी चूंकि ऐसी योजनाएं उन्हें लाभ नहीं दे पाएंगी जनजातीय लोगों विशेषकर अर्वाचीन आदिवासी समूहों को शनै:शनै: तथा सुकुमार ढंग से गरीबी से ऊपर उठाने का तथा उनकी जीवनशैली में परिवर्तन लाने का अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है जिससे उन लोगों को इस आधुनिक विश्व का लाभ मिल सकेगा। समिति इस बात की सिफारिश करती है कि टीएसपी के तहत सभी योजनाएं जनजातीय लोगों की संस्कृति तथा उनके धर्मों के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। अत: यदि आवश्यकता पड़े तो मंत्रालय को चाहिए कि वह भी इस कार्य में उन शिक्षाविदों को शामिल करें जो योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बनाए जाने के दौरान जनजातीय लोगों के जीवन के संबंध में काफी कुछ जानते हों। इससे यह बात सुनिश्चित हो जाएगी कि ये योजनाएं आवश्यकता आधारित हैं और ये कारगर ढंग से विशेष समूहों का लक्ष्य बन सकेंगी।

**जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर**

3.9 मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजनाओं का निर्माण संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय, कार्यकारी समिति की मंजूरी और मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

3.10 राज्य जनजातीय कल्याण विभाग, योजनाओं के निर्माण के लिए नोडल विभाग है। इस संबंध में, राज्य टीएसपीदिशानिर्देशों में यह विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि अपने जनादेश का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिए, नोडल विभाग को, तकनीकी सहायता समूह, ज्ञान-नेतृत्व, रणनीतिक योजना से संबंधित क्षेत्रों में विश्लेषणात्मक कामकाज, मांग मूल्यांकन, अंतरो के विश्लेषण, योजनाओं / कार्यक्रमों का दीर्घकालिक प्रभाव और साक्ष्य-आधारित योजना और निर्णय लेने के लिए संबंधित डेटा का संग्रह, सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से पर्याप्त रूप से सुदृढ बनाया जाएगा। कार्यक्रमों और स्कीमों के निर्माण के दौरान विशेषज्ञों, विद्वानों और हितधारकों के साथ कार्यशालाओं/सम्मेलनों के माध्यम से यथावश्यक परामर्श किया जाता है।

## अध्याय-चार

## सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर को स्वीकार नहीं किया और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है।

### सिफारिश (क्रम संख्या 1)

4.1 समिति ने नोट किया कि देश में हाशिए पर रह रही अनुसूचित जनजातियों के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा अपनायी गयी टीएसपी रणनीति की सफलता सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने अजा/अजजा संबंधी एसटीसी (टीएसपी) बनाने, उसके कार्यान्वयन तथा निगरानी के बारे में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को व्यापक दिशानिर्देश जारी किया हैं।तथापि, समिति यह नोट कर निराश है कि अधिकांश केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ने दिशानिर्देशों का अक्षरश: पालन नहीं किया है।समिति ने नोट किया कि अधिकांश केन्द्रीय मंत्रालयों ने दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों का आबंटन चिन्हित नहीं किया है।चिन्हित निधियां, धनराशि के निर्धारित आबंटन से काफी कम है जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने टीएसपी हेतु केवल 5.45. राशि निर्धारित की है जबकि इस मंत्रालय हेतु टीएसपी की चिन्हित राशि 17.5% है।समिति का मानना है कि अधिकांश केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा वर्तमान दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की अवहेलना तथा इनका अनुपालन न करना, एक कारण है जिसकी वजह से टीएसपी कार्यनीति, मूल रूप से संकल्पित अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पायी है।समिति का मानना है, कि इस संबंध में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों को अपनी बात सक्रियता से समझानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह मंत्रालय उन्हें दिए गए आबंटन के अनुसार टीएसपी हेतु निर्धारित निधियां चिन्हित करें।

### जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर

4.2 नीति आयोग और जनजातीय कार्य मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) की निगरानी पर पूरी सक्रियता से काम कर रहे हैं। इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय एसटीसी निधियों वाले केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ सचिव (जनजातीय कार्य) की अध्यक्षता में आवधिक बैठकें आयोजित कर रहा है। इन बैठकों में इस पर बल दिया गया कि एसटीसी आवंटनों को संबंधित मंत्रालय/विभाग के कुल योजनाबद्ध आवंटन के निर्धारित प्रतिशत के समान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सचिव (जनजातीय कार्य) द्वारा हस्ताक्षरित अर्धशासकीय पत्र भी मंत्रालयों/विभागों को भेजा है, जिन्होंने

एसटीसी के तहत नीति आयोग के मौजूदा दिशानिर्देश द्वारा निर्धारित प्रतिशत से कम निधियों को आवंटित किया है।

4.3 बजट प्रभाग, डीईए के अनुसार प्रधान सलाहकार की अध्यक्षता में नीति आयोग में दिनांक 16.11.2018 को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सचिव (व्यय) और संयुक्त सचिव (बजट) ने भी भाग लिया तथा इसमें यह निर्णय लिया गया था कि नीति आयोग के परामर्श में नोडल मंत्रालयों तथा बाध्य मंत्रालयों को विशिष्ट योजनाओं को चिन्हित करना चाहिए, जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को लाभ प्रदान करते हैं एवं ऐसी सभी योजनाओं के लिए काल्पनिक आवंटन के बजाय सिर्फ ऐसी योजनाओं के लिए आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया था कि वर्तमान योजनाओं के तहत आवंटन और / या व्यय में कठिनाई के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समावेशी विकास के लिए नवीन प्रतिक्रिया या नए उपाय/नई योजनाओं के साथ नोडल मंत्रालयों को नीति आयोग के साथ चर्चा करनी चाहिए। व्यय सीमाओं की सूचना देते हुए बजट प्रभाग, डीईए इस संबंध में नीति आयोग के दिशानिर्देशों के मद्देनजर न्यूनतम आवश्यक निधियों के निर्धारण को स्पष्टरूप से इंगित करता है।

4.4 इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित निधियों के चिन्हन के लिए बाध्य केंद्रीय मंत्रालय/विभागों के साथ मामले को देखने के लिए नीति आयोग उपाध्यक्ष/नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रालय/विभागों के साथ आवधिक बैठकें भी आयोजित कर रहा है।

**समिति की टिप्पणी**

**4.5 कृपया अध्याय एक की पैरा संख्या** 1.4 **देखिए।**

**सिफारिश (क्रम संख्या** 3)

4.6 समिति नोट करती है कि ऐसे बहुत से राज्य हैं तो नीति आयोग के भरपूर प्रयासों के बावजूद टीएसपी योजनाओं संबंधी आबंटित योजना परिव्यय के प्रतिशत का ब्यौरा प्रदान नहीं करते।असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर आदि जैसे ये अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफी अधिक है जैसे कि मणिपुर में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 35% है।समिति का मानना है कि राज्यों द्वारा यह स्पष्ट अवहेलना इस बात का प्रमाण है कि वे टीएसपी योजनाओं का अक्षरश: पालन नहीं करते।वह या तो टीएसपी निधियों का अन्यत्र उपयोग करते हैं अथवा उसका दुरूपयोग करते हैं।समिति इस बात को गंभीरता से लेती है कि असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर तथा जम्मू और कश्मीर जैसे कुछेक राज्य समझाने-बुझाने के बावजूद भी टीएसपी आबंटन की बात नहीं कर रहे

हैं।राष्ट्र हित में इस परियोजनार्थ सरकार को चाहिए कि वह संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से कार्यान्वित करने हेतु एक कानून बनाये।इसके अतिरिक्त, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को ऐसे दोषी राज्यों के अथवा निधियों का सीधा आबंटन बंद करने जैसा उपयुक्त तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि सभी राज्य आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों के पदचिन्हों पर चलें जिन्होंने टीएसपी को सांविधिक रूप दिया है।

**जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर**

4.7 जनजातीय कार्य मंत्रालय टीएसपी निधियों के गैर-आवंटन, न्यून उपयोगिता तथा व्यपवर्तन के मुद्दे को निपटाने के लिए एक कानून बनाने की दिशा में राज्य सरकारों के साथ लगातार लगा हुआ है।

**सरकार की टिप्पणी**

**4.8 कृपया अध्याय एक की पैरा संख्या** 1.7 **देखिए।**

**सिफारिश (क्रम संख्या** 4)

4.9 समिति नोट करती है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही सक्रिय जनजातीय कल्याण विभाग है और इसलिए टीएसपी के तहत योजनाओं को वहां बेहतर तरीके से कार्यान्वित किया जाता है।समिति महसूस करती है कि टीएसपी के सफल कार्यान्वयन के लिए यह मूलभूत अपेक्षाओं में से एक है।एक सुदृढ़ जनजातीय कल्याण विभाग जहां पर्याप्त जनशक्ति हो और जिनकी शाखाएं राज्य भर में हों, और जो सुव्यवस्थित हों व जहां पर्याप्त संख्या में कर्मचारी मौजूद हों, टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होताहै।इसके अतिरिक्त, इन विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए और उन्हें टीएसपी निधियों के दुर्विनियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।इसलिए समिति सिफारिश करती है कि चूंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय को केन्द्रीय मंत्रालयों के टीएसपी निधियों की निगरानी के लिए अधिदेश प्रदान किया गया है, मंत्रालय को प्रत्येक राज्य विशेषक उन राज्यों में जहां पर्याप्त संख्या में जनजातीय लोग हों, में एक मजबूत कल्याण विभाग के लिए सतत रूप से जोर देना चाहिए।

**जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर**

4.10 मौजूदा दिशानिदेशों के अनुसार राज्यों में जनजातीय विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य जनजातीय कल्याण विभाग नोडल विभाग है। राज्य जनजातीय कल्याण विभागों की जिम्मेदारी विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों की प्रगति का

समन्वय करना तथा परिणाम सहित निधि आवंटन, निर्मुकित तथा व्यय, सेवा वितरण मानको सहित सुपरिभाषित घटकों के साथ एक व्यापक निगरानी तंत्र तैयार करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय एक मजबूत राज्य जनजातीय कल्याण विभाग बनाने के लिए राज्य सरकारों पर नियमित रूप से दवाब देता है।

**सरकार की टिप्पणी**

**4.11 कृपया अध्याय एक की पैरा संख्या** 1.10 **देखिए।**

**सिफारिश (क्रम संख्या** 5)

4.12 समिति पाती है कि टीएसपी निधियों का कार्यान्वयन और पारदर्शी उपयोग इस फ्लैगशिप योजना के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।समिति महसूस करती है कि केरल और मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों का यह एक सकारात्मक कदम है जहां उन्होंने जनजातीय उप योजना (टीएसएस) निधियों के निरूपण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए मुख्य सचिव के अधीन एक कार्यकारी समिति का गठन किया है।किंतु केवल इस समिति के गठन से ही उक्त उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी।समिति को यह जानकर बड़ा दुख हुआ है कि टीएसपी निधियों का दुर्विनियोजन किया जा रहा है और अल्पसंख्यक संस्थाओं अथवा अपात्र राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा के लिए खर्च किया जा रहा है जो टीएसपी के अंतर्गत शामिल नहीं है।समिति का विचार है कि जब तक सभी राज्यों में निगरानी तंत्र सक्रिय और मजबूत नहीं किया जाता है, टीएसपी के तहत विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन अर्थपूर्ण और प्रभावी नहीं होगा।टीएसपी की सफलता ईमानदारी और सतर्कता युक्त निगरानी के साथ इन कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।इसलिए समिति सिफारिश करती है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जिला और प्रखंड स्तर पर एक मजबूत निगरानी समिति की स्थापना करनी चाहिए जिसकी वर्ष में कम से कम दो बैठकें हों। समिति यह भी सिफारिश करती है कि प्रत्येक राज्य को पूरे किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं के संबंध में अपना स्वयं का सामाजिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि, लाभार्थी और प्रसिद्ध स्वैच्छिक संगठन/गैर-सरकारी संगठन शामिल हों।

**जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर**

4.13 जनजातीय कार्य मंत्रालय के निरंतर प्रयास और अनुनय से केरल सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों ने टीएसपी निधियों के गठन, कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए कार्यकारी समिति का

गठन किया है। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय के जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को योजना के तहत निधियों के लिए एक वार्षिक योजना तैयार करना होगा तथा योजना को राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित होना होगा। इसलिए, कार्यकारी समिति द्वारा राज्य सरकार की वार्षिक योजना का अनुमोदन योजना के तहत निधिकरण के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।

4.14 जिला और ब्लॉक स्तर पर निगरानी समितियों की स्थापना जो एक वर्ष में दो बैठक करेंगे और सामाजिक लेखा-परीक्षा कार्यक्रम के गठन के संबंध में समिति की सिफारिश को आवश्यक कार्रवाई के लिए नोट कर लिया गया है।

**समिति की टिप्पणी**

**4.15 कृपया अध्याय एक की पैरा संख्या** 1.13 **को देखिए।**

**सिफारिश (क्रम संख्या** 6)

4.16. समिति का मत है कि क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के लिए एक मैनुअल होना चाहिए क्योंकि ऐसे मैनुअल की सहायता से ही ये अधिकारी जो जनजातीय क्षेत्रों, जो अधिकांश: पिछड़े हुए, दूरस्थ और दुर्गम हैं, में कार्य करते हैं, अपने कार्यों को प्रभावी रूप से करने में सक्षम हो सकें और यह सुनिश्चित करें कि इन कार्यक्रमों/योजनाओं को दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जाए।इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि नोडल मंत्रालय और टीएसपी के वित्तपोषक होने के नाते मंत्रालय के लिए वह उपयुक्त होगा कि वह क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के उपयोग के लिए नीति आयोग द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के आधार पर एक मैनुअल समेकित करने के लिए राज्य सरकार को अनुदेश दे।इस मैनुअल को क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र स्तर के अधिकारी इन दिशानिर्देशों को उचित रूप से समझ सकें और उन्हें प्रभावी रूप से कार्यान्वित कर सकें।

**जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर**

4.17 समिति की सिफारिश अनुपालन के लिए नोट कर लिया है तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को सूचित किया गया है।

**समिति की टिप्पणी**

**4.18 कृपया अध्याय एक की पैरा संख्या** 1.16 **को देखिए।**

**सिफारिश (क्रम संख्या 10)**

4.19 समिति ने नोट किया कि टीएसपी निधियों के अव्यपगत पूल के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह मामला नीति आयोग में विचाराधीन है तथा समिति यह महसूस करती है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। टीएसपी के अंतर्गत बहुत सी अनुउपयोगी निधियों को या तो अन्य योजनाओं में लगा दिया जाता है या फिर वे व्यपगत हो जाती है। निधि का अव्यपगत पूल यह सुनिश्चित करेगा कि निधियों को कहीं और न लगाया जाए तथा उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग किया जा सके। अत: समिति इस बात की सिफारिश करती है कि नीति आयोग द्वारा इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जाए ताकि टीएसपी संबंधी निधि वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे और उसका दुरूपयोग न हो।

**जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्तर**

4.20 नीति आयोग द्वारा, एससीएसपी और टीएसपी के लिए गैर व्यपगत (नॉन लैप्सेबल) अधिशेष और गैर परिवर्तनीय (नॉन डॉयवर्टीबल) निधि से संबंधित मामले की जांच की गई और नीति आयोग में एक सुझाव दिया गया कि नॉन डायवर्टीबल निधियों का, उपयोजनाओं के दायरे को अनुरक्षित करते समय केन्द्रीय विधान के माध्यम से बेहतर ढंग से प्रवर्तन किया जा सकता है।इस, संदर्भ में उनके द्वारा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की विधियों की जांच की गई।

4.21 आंध्र प्रदेश जिसने पहले यह कानून बनाया का अनुभव, उत्साहजनक नहीं था।यही स्थिति कर्नाटक राज्य की भी थी।टीएसपी से संबद्ध यह मामला निधि की अपर्याप्तताया अनुपलब्धता का नहीं था।अपितु यह मामला एक विशेष स्कीम के तहत क्षमता के उपयोग का था।

4.22 मंत्रालयों/विभागों की उपयोग क्षमता में कमी से निपटने के लिए नीति आयोग ने आर्थिक कार्य और व्यय विभाग को संबोधित अपने अर्धशासकीय पत्र सं.एम/**11011/18/2018**-एसजेई दिनांक **09.11.2018** के द्वारा ऐसे लाइन मंत्रालयों की जिनके पास अप्रयुक्त और उपयोग जा रही टीएसपी और एससीएपी निधि शेष है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की स्कीमों के तहत निधि के अव्ययित अधिशेष का एक पूल बनाने और ऐसी निधियों को नोडल विभागों अर्थात सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय को आबंटित करने का सुझाव दिया है ताकि छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति स्कीम और अन्य लामोन्मुख स्कीमों की बजटीय मांगों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा नीति आयोग की जानकारी के अनुसार भारत द्वारा अपनाई जा रही व्यावहारिक लेखा प्रणाली के तहत भारतीय परिप्रेक्ष्य में, "गैर अपव्यय" (नॉन लैप्सेबिलिटि) क्रियान्वयन के लिए एक व्यवहार्य अवधारणा नहीं है।निधि आवंटन में"गैर अपव्ययता"जो अब

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अपनायीजा रहीहै उत्साहवर्धक नहीं है क्योंकि इससे कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों/विभागों की उपयोग क्षमता में कमी के कारण अधिक निधि एकत्रित हो सकती है।

## समिति की टिप्पणी

**4.23 कृपया अध्याय एक की पैरा संख्या** 1.18 **देखिए।**

## अध्याय – पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

- शून्य -

नई दिल्ली;
.....,2021
....., 1942(शक)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी
सभापति
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित
जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

परिशिष्ट-दो

(देखिए, प्राक्कथन का पैरा 4)

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई- कार्रवाई का विश्लेषण ।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सिफारिशों की कुल संख्या | 11 |
| 2. | सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है<br>(देखिए सिफारिश क्र.सं.4,8,9)<br>कुल की प्रतिशतता | 3<br>27% |
| 3. | सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती<br>(देखिए सिफारिश क्र.सं. 2,7,11)<br>कुल की प्रतिशतता | 3<br>27% |
| 4. | सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं<br>(देखिए सिफारिश क्र.सं. 1,3,5,6,10)<br>कुल की प्रतिशतता | 5<br>45% |
| 5. | सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (.....) | 0 |